भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
https://prgi.gov.in

दिनांक 16.01.2026

2026 की एड्वाइजरी संख्या 02

विषय: पुराने पीआरबी अधिनियम के अंतर्गत सत्यापित किंतु अपंजीकृत शीर्षकों को अनब्लॉक किए जाने के संबंध में ।

दिनांक 17 दिसंबर 2025 की एड्वाइजरी संख्या 49/2025 के क्रम में, सर्वसाधारण तथा संभावित प्रकाशकों के लाभार्थ निम्नलिखित सूचना जारी की जाती है।

प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 के अंतर्गत पूर्व में सत्यापित किए गए वे सभी शीर्षक, जिनके लिए विस्तारित समय-सीमा के पश्चात भी पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी, दिनांक 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से अनब्लॉक (unblock) कर दिए गए हैं।

ये सभी शीर्षक अब सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं तथा प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अब कोई भी पात्र व्यक्ति या संस्था इन शीर्षकों को नए पंजीकरण हेतु प्रस्तावित कर सकता है।

अनब्लॉक किए गए इन **5317 शीर्षकों की एक विस्तृत सूची** इस सूचना के साथ सार्वजनिक संदर्भ हेतु संलग्न की गई है। इच्छुक प्रकाशक इन शीर्षकों के पंजीकरण हेतु प्रेस सेवा पोर्टल (https://presssewa.prgi.gov.in/) के माध्यम से **पहले आओ, पहले पाओ** के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

यह सूचना भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(रजित चंद्रन एम. आर.)
उप प्रेस महापंजीयक